न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला–सांचौर

पीठासीन अधिकारी :– श्री प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :– 02/2022

जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2022/39

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1 चेलाराम पुत्र भगा, जाति–कोली, निवासी–सुथाना, तहसील व जिला–सांचौर, (राज.)		1 रूपसिंह पुत्र सगतसिंह के कायम मुकाम (अ) पृथ्वीराजसिंह पुत्र रूपसिंह, जाति–राजपुत, निवासी–सुथाना, तहसील व जिला–सांचौर, (राज.)

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजु :– 31.05.2022

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री विजय कुमार सिंह राठौड़ उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 1 के कायम मुकाम 'अ' की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री रघुवीर पुरोहित व गोरधनराम बिश्नोई उपस्थित।

:– निर्णय :– दिनांक :– 25.10.2024

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम सुथाना के खेत खसरा संख्या 280 रकबा 3.48 हैक्टेयर, खसरा संख्या 402/279 रकबा 0.23 हैक्टेयर जुमले रकबा 3.71 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम आई हुई है। प्रार्थी को उक्त खेत में जाने के लिए नये रास्ते की आवश्यकता है। प्रार्थी के खेत में जाने के लिए रास्ता अप्रार्थी के खातेदारी के खेत ग्राम सुथाना के खसरा संख्या 278 रकबा 5.47 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम में से 0.08 हैक्टेयर भूमि की रास्ते हेतु आवश्यकता है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी के पास उक्त खातेदारी के खेतों में आने–जाने का कोई रास्ता नहीं है तथा इसी रास्ते की प्राप्ति हेतु उक्त प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया है अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि खसरा संख्या 278 रकबा 5.47 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम में से प्रार्थी को रास्ता उपयोग हेतु राजस्व रेकर्ड में अभिलिखित करने हेतु आदेश फरमावें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.11.12 17:28:49 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज [illegible] अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अप्रार्थी उपस्थित आया और ज[illegible] प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर किया कि प्रार्थी ने खेत खसरा संख्या 278 रकबा 5.47 हैक्टेयर भूमि में आवागमन करने के लिए रास्ते की मांग की है जबकि प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 280 व 402/279 में आवागमन

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

Scanned with OKEN Scanner

करने के लिए पूर्व से खसरा संख्या 323 में वैकल्पिक रास्ता मौजूद है उक्त रास्ता ग्राम सुथाना से धनजी की ढाणी ग्रेवल सड़क भी बनी हुई है तथा प्रार्थी अपने खसरा संख्या 280 व 402/279 में अपने खसरा संख्या 323 से हमेशा आवागमन करता है तथा आगे खसरा संख्या 280 प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी होने के कारण प्रार्थी खसरा संख्या 280 से खसरा संख्या 402/279 में अपने वैकल्पिक रास्ते से हमेशा आवागमन करता आ रहा है तथा आज भी इसी स्थान से आवागमन करता है। प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा संख्या 280 व खसरा संख्या 402/279 संयुक्त होने के कारण अभी तक विधिवत् रूप से बंटवाड़ा राजस्व रेकर्ड में नहीं हुआ है। प्रार्थीगण तमाम बंटवाड़ा करेंगें तब उस समय प्रार्थी एवं सह खातेदारान् के अलग से तरमीम कर मौके पर राजस्व रेकर्ड में रास्ता अमलदरामद कर दिया जायेगा एवं वर्तमान में प्रार्थी के पास संयुक्त खसरा नंबरान से वैकल्पिक रूप से निकटतम एवं सुविधाजनक रास्ता मौजूद है। अप्रार्थी रूपसिंह फौत हो चुके है जबकि रूपसिंह के फौत हो जाने पर कायम मुकाम रेकर्ड पर लेकर प्रार्थना–पत्र कार्यवाही की जानी थी, जिस पर केवल मात्र पृथ्वीराजसिंह को ही रेकर्ड पर लिया गया, जबकि इन्द्रा कंवर, दरिया कंवर, पवन कंवर पुत्रियान् रूपसिंह तथा भूरी पत्नी रूपसिंह भी आवश्यक पक्षकार होने के बावजूद पक्षकारों को संयोजित नहीं किया गया है। वर्तमान राजस्व रेकर्ड की जमाबंदी में उपरोक्त सभी पक्षकार सह खातेदारान् है। इस प्रकार पक्षकार संयोजन के अभाव में भी प्रार्थना–पत्र खारिज योग्य है। मौका रिपोर्ट से प्रमाणित है कि प्रार्थी के निकटतम, सरलतम, सुविधाजनक रास्ता प्रार्थी की ढाणी खसरा संख्या 223 से होता हुआ खसरा संख्या 280 तक जाता है जिसकी दूरी मात्र 22 मीटर है जो की ग्रेवल सड़क सुथाना से धनजी की ढाणी से जुड़ता है जो ग्रेवल सड़क कई वर्षों पुरानी है। खसरा संख्या 223 जो की प्रार्थी स्वयं का है। अतः जवाब प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी के पास संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा संख्या 280 व खसरा संख्या 402/279 में से वैकल्पिक रास्ता मौजूद है तथा प्रार्थना–पत्र प्रार्थी ने निराधार, बेबुनियाद पेश किया है इसलिए खारिज फरमावें।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि अप्रार्थी से रास्ते की मांग हेतु आवेदन दिनांक 31.05.2022 को सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया। प्रार्थी के खातेदारी भूमि खसरा संख्या 280 रकबा 3.48 हैक्टेयर, खसरा संख्या 402/279 रकबा 0.23 हैक्टेयर जुमले रकबा 3.71 हैक्टेयर में प्रार्थी के उक्त खेतों में आवागमन हेतु रास्ते की आवश्यकता है। प्रार्थी के उपरोक्त खेतों में आने जाने के लिए अप्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 278 [illegible] हैक्टेयर में से 0.08 हैक्टेयर भूमि की रास्ते हेतु आवश्यकता [illegible] राजस्व रेकर्ड में अभिलिखित करने हेतु आदेश फरमावें। इसी प्रकार [illegible] अप्रार्थी ने बहस कर निवेदन किया कि प्रार्थी के पास खसरा संख्या 323 जो कि प्रार्थी स्वयं का है जिसमें प्रार्थी की ढाणी बनी हुई है जिसमें आवागमन करने हेतु वर्तमान में प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ता मौजूद है। उक्त खसरे से खसरा संख्या 280 तथा 402/279 की खातेदारी में जाने के लिए खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.11.12 17:28:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

Scanned with OKEN Scanner

संख्या 323 से रास्ता मौजूद है जिसकी दुरी मात्र 22 मीटर है अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र निराधार, बेबुनियाद होने से खारिज फरमावें।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र मय दस्तावेजात, नजरी नक्शा एवं भू–अभिलेख निरीक्षक सरवाना की मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 21.03.2023 का गहनता से अध्ययन कर बहस उभयपक्ष पर मनन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 'क' में निम्नलिखित विधिक प्रावधान है :–

251'क' अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना या नया मार्ग खोलना विधमान मार्ग का विस्तार करना

(क) कोई अभिधारी, अपनी जोत की सिंचाई के प्रयोजन के लिए किसी अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाईन बिछाना चाहता है या

(ख) कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतों तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विधमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है।

गैर मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए संबंधित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात् उसका समाधान हो जाता है कि

(i) यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है और

(ii) अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्व किया गया है–

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाईन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रैक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि में से होकर, और यदि ऐसा ट्रैक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अनाधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता है, जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने का एक नया मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर [illegible] रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन नया मार्ग बनाने या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित करने या चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये वहां ऐसे मार्ग को समाविष्ट करने वाली उस भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जायेगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में "रास्ता" के रूप में अभिलिखित की जायेगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.11.12 17:28:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

Scanned with OKEN Scanner

(3) वे व्यक्ति, जिनको उपधारा (1) में निर्दिष्ट सुविधाओं में से किसी भी सुविधा के उपभोग के लिए अनुज्ञात किया गया है, उक्त सुविधा के आधार पर उस जोत में, जिसमें से होकर ऐसी सुविधा मंजूर की जाये, कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं करेंगे।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में यह आज्ञापक प्रावधान है कि रास्ता उसी दशा में स्वीकृत किया जाएगा जब खातेदार को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता हो, तथा निकटतम स्थान से मार्ग स्वीकृत जावेगा। प्रस्तुत राजस्व प्रार्थना–पत्र में प्रार्थी के खातेदार खेत खसरा संख्या 280 रकबा 3.48 हैक्टेयर खसरा संख्या 402/279 रकबा 0.23 हैक्टेयर में पहुंचने हेतु कोई रेकडर्ड मार्ग तो उपलब्ध नहीं है, परन्तु भू–अभिलेख निरीक्षक सरवाना की मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 21.03.2023 से स्पष्ट है कि खसरा संख्या 280 के मौके पर तीन भाईयों के बीच वंटवाड़ा हो रखा है जिसमें सलंग्न नक्शे में बताये गये बिन्दू सं (C) में प्रार्थी का भाई हेमराज मौके पर काबिज है एवं बिन्दू संख्या (डी) स्थान पर प्रार्थी का भाई कृष्णराम पुत्र भगाराम काबिज है। खसरा संख्या 402/279 प्रार्थी के भाई कृष्णराम के हिस्से से लगता हुआ है। प्रार्थी ने खसरा संख्या 280 में से जिस स्थान पर रास्ता चाहा है उसकी लंबाई 200 मीटर है, चौड़ाई 4 मीटर है जो की प्रार्थी के शामलाती खसरा संख्या 402/279 से टच होता है जो नक्शे में बिन्दू संख्या (बी) दर्शाया गया है। प्रार्थी चेलाराम वर्तमान में ग्राम सुथाना के खसरा संख्या 255, 257, 299, 301, 302, 285, 303, 304, 323 आदि से होकर गुजरने वाली ग्रेवल सड़क जो कि कई वर्षो पुरानी है एवं ग्राम सुथाना से धनजी की ढ़ाणी जाती है, से होते हुए खसरा संख्या 323 में से अपनी रहवासी ढ़ाणी एवं खेत में आवागमन कर रहा है जो कि सलंग्न नक्शें में बिन्दू संख्या (ई) से दर्शाया गया है। खसरा संख्या 323 एवं प्रार्थी की खातेदारी की माठ पर लकड़ी से बना गेटनुमा लगा हुआ है। ग्राम सुथाना से धनजी की ढाणी जो ग्रेवल सड़क विभिन्न खातेदारों के खेतों से होकर चल रही है वो राजस्व रेकर्ड में रास्ता अथवा सड़क के रूप में इन्द्राज नहीं है। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रार्थी ने खसरा संख्या 280 में जिस स्थान से रास्ता चाहा है उसकी लंबाई 200 मीटर है व चौड़ाई 4 मीटर है जो कि प्रार्थी के शामलाती खसरा संख्या 402/279 में टच होता है। प्रार्थी वर्तमान में ग्राम सुथाना के खसरा संख्या 255, 257, 299, 301, 302, 285, 303, 304, 323 आदि से होकर गुजरने वाली सड़क जो कि कई वर्ष पुरानी है एवं ग्राम सुथाना से धनजी की ढ़ाणी जाती है, से होते हुए खसरा संख्या 323 में से अपनी रहवासी ढ़ाणी एवं खेत में आवगमन कर रहा है जिसकी लंबाई ग्रेवल सड़क से मात्र 22 मीटर है। अतः निजी खातेदार को केवल सुविधा के आधार पर आवश्यक पहुंच मार्ग दिया जाना विधिसम्मत नहीं है तथा प्रार्थी वर्तमान में उपरोक्त [illegible] मि से आवागमन करता है अतएवः स्पष्ट है कि प्रार्थी के पास उप[illegible] में ही उपलब्ध है। इस प्रकार रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता नहीं होकर केवल [illegible] हेतु मार्ग चाहा गया है प्रार्थी का पहुंच मार्ग ग्रेवल सड़क जो ग्राम सुथाना से धनजी की ढ़ाणी जाती है, से होकर अपनी रहवासी ढाणी एवं खेत में आवागमन कर रहा है। जिस पर कोई व्यक्ति बाधा भी कारित नही

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.11.12 17:28:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

Scanned with OKEN Scanner

कर सकता है। अतएवः प्रार्थी के पास पूर्व से ही रास्ते की उपलब्धता होने से उक्त प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाता है।

:– आदेश :–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पूर्व से मार्ग की उपलब्धता, वैकल्पिक मार्ग, आत्यांतिक आवश्यकता की श्रेणी में नहीं होने एवं बखूबी साबित नहीं होने तथा सारवान नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर नंबर से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रमोद कुमार ...)
उपखण्ड अधिकारी सांचौर
उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

निर्णय आज दिनांक 25.10.2024 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर
उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.11.12 17:28:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner